



Neutral Citation No. –2026:AHC:174857

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29176 वर्ष 2026**

राहुल उर्फ कलुआ

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

आदर्श श्रीवास्तव, रीना पाल

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

**न्यायालय संख्या-65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-26 सन् 2025, धारा 103(1), 309(6) भा.न्या.सं., थाना गुलावठी, जनपद बुलंदशहर के अधीन आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य भी प्रथम दृष्टया कमजोर प्रतीत होता है।
5. उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, परंतु दोनों मामले स्पष्ट किए गए हैं और एक मामला धारा 304ए भारतीय दंड संहिता से संबंधित दुर्घटनावश मामला है।
6. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में आवेदक 11.01.2025 से अर्थात् पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से जेल में है।
7. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क से इनकार नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह परिलक्षित होता है कि अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



10. विधि स्थापित है कि केवल अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर सामान्यतः हत्या के मामले में दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती। (देखें: आनंद जक्कप्पा पुजारी उर्फ गड्डादार बनाम कर्नाटक राज्य 2026 SCC OnLine SC 716)।
11. इसके अलावा, यद्यपि, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, परंतु उसका आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है और एक मामला दुर्घटनावश मामला है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में भी आवेदक 11.01.2025 से अर्थात् पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से जेल में है।
12. अतः, मामले के उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
14. आवेदक-राहुल उर्फ कलुआ को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण की अवधि में मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

19 अगस्त, 2026

ए.के. पांडे

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*